

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

- प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम डॉ. आर.के.मेहिया, प्रबंध संचालक/संचालक
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग 35 बी अरेरा हिल्स, भोपाल
- लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम डॉ. बी.एस. शर्मा, उपसंचालक
कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 0755-2776310
- सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम डॉ. अर्चना दाँते अतिरिक्त उपसंचालक
कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 0755-2776310
- नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम डॉ. प्रवीण शिन्दे अतिरिक्त उपसंचालक
कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 0755-2776310
- सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ प्रभारी का नाम श्री राजेश डांगरे
- आवेदन जमा करने का स्थान सामान्य शाखा कक्ष
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। आवेदन ग्रहण करने का समय प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक। सहायता के लिए श्री राजेश डांगरे से सम्पर्क करें।
 - (1) लोक सूचना अधिकारी रू. 10/-
 - (2) प्रथम अपीलीय अधिकारी रू. 50/-
 - (3) आयोग के समक्ष अपील रू. 100/-
- अभिलेख जानकारी शुल्क (अ) छायाप्रति के लिए (ए-4 साईज) रू. 2.00 प्रति पेज
(ब) दस्तावेज निरीक्षण अवलोकन शुल्क प्रथम घंटे के लिए रूपये 50/- उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट के लिए रूपये पच्चीस।
(स) यदि जानकारी भिन्न प्रकार की है तो उसके स्वरूप अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा शुल्क निर्धारित किया जायेगा।
- सूचना का देने का समय आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 30 दिन
- अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रतिबंधित सूचनायें प्रदाय नहीं की जायेगी।
- समय-सीमा में सूचना प्राप्त ना होने / सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर अगले 30 दिवसों में प्रथम अपीलीय अधिकारी को रू. 50 के शुल्क के साथ अपील की जा सकेगी।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न होने पर / सूचना प्राप्त नहीं होने पर अगले 90 दिवसों में राज्य सूचना आयोग के समक्ष रूपये 100 के शुल्क के साथ द्वितीय अपील की जा सकेगी।
- सूचना अंतर्गत वांछित दस्तावेज का निरीक्षण अवलोकन किया जा सकेगा या नकल प्राप्त की जा सकेगी या सेम्पल प्राप्त किया जा सकेगा।

नोट :- गरीबी रेखा के नीचे के आवेदन को सभी आवेदन शुल्क माफ है। साथ ही नमूने या सेम्पल की लागत को छोड़कर अन्य किसी सूचना की लागत देय नहीं है। (गरीबी रेखा कार्ड की छायाप्रति) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।